मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

रविवार, दिनांक 21 जुलाई, 2019 (आषाढ़ 30, शक संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:04 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

1. प्रश्नकाल में उल्लेख एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

(1) कार्यसूची में मधयप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2019 के पुर:स्थापित एवं पारित संबंधी उल्लेख होने से मांगे गिलोटिन होकर सत्रावसान करने संबंधी आशंका की जाना एवं
(2) मध्यप्रदेश विधान सभा में पूर्व में सभापति व्यवस्था और हास परिहास की पुस्तकों का प्रकाशन पुन: प्रारम्भ किया जीना

डॉ. नरोत्तम मिश्र, सदस्य ने उल्लेख किया कि - (1) मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम में है कि "विनियोग विधेयक के पुर:स्थापित होने के बाद किसी भी समय अध्यक्ष सभा द्वारा विधेयक के कारण में अन्तर्ग्रस्त सभी या किसी प्रक्रम को पूरा करने के लिए संयुक्त रूप से अलग-अलग एक या कई दिन नियत कर सकेगा और जब ऐसा नियतन किया जा चुका हो तो अध्यक्ष, यथास्थिति, नियत दिन या नियत दिनों के अंतिम दिन पांच बजे उस प्रक्रम या प्रक्रमों के संबंध में, जिनके लिये वह या वे दिन नियत किये गये हों, सभी अवशिष्ट विषयों को निपटाने के लिये प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेगा." विनियोग विधेयक के पुर:स्थापन पर हमें आपत्ति नहीं है, बजट पारित होने के बाद विनियोग आता है किन्तु यह आज ही आने से हमें आशंका यह है कि क्या आप शेष बजट मांगों को गुलेटिन द्वारा पारित करके आज सत्रावसान कर रहे हैं ? मैं मानता हूँ कि आप पूरी शिद्दत और लगन के साथ सदन चला रहे हैं. (2) मध्यप्रदेश विधान सभा में पूर्व में "सभापतीय व्यवस्था" और "हास-परिहास" की पुस्तकों का प्रकाशन पुन: प्रारम्भ करवा दें.

अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्य को सूचित किया कि - (1) आप जो सोच रहे हैं, वैसा नहीं है. इसको पारित करवाने का मतलब आगे विधेयकों एवं नियम 139 के अधीन लोक महत्व के विषय पर चर्चा भी है, मुझे वह सब ग्राह्य करनी हैं. (2) आपका सुझाव अच्छा है पहले "सभापतीय व्यवस्था" और "हास-परिहास" की किताब छपती थी वह अब पुन: प्रारम्भ होना चाहिए.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 9 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 10) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये.

3. अध्यक्षीय व्यवस्था
कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाना

डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य के कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र.12) पर चर्चा के दौरान प्रश्नकर्ता सदस्य, श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष, डॉ. गोविन्द सिंह, संसदीय कार्य मंत्री एवं डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ, संस्कृति मंत्री द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति में आरक्षण संबंधी विचाराधीन याचिका के संदर्भ में मध्यप्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया तथा प्रशासकीय स्थिति पर विचार व्यक्त किए.

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि "माननीय मंत्री यह बतायें कि क्या रोस्टर प्रथम श्रेणी अधिकारियों के लिये लागू नहीं है और अगर है तो उनकी पदोन्नति कैसे हो रही हैं ? प्रथम से चतुर्थ श्रेणी तक सबके लिये एक सा नियम लागू हो. वे इस मसले को भी सुलझायें. जिन लोगों की पदोन्नति नहीं होती है, उनके परिवार भी मानसिक पीड़ा झेलते हैं. कहीं न कहीं यह प्रश्नचिह्न स्वाभाविक उनके मानवीय चित्त पर जाता है. उसको दूर करने के लिये आसंदी अपेक्षा करती है कि पक्ष-विपक्ष के दोनों माननीय मुख्यमंत्री के साथ इसी विधान सभा में किसी दिन, जिसे मैं निर्धारित करूंगा, मेरे साथ बैठकर मुख्यमंत्री महोदय, पक्ष और विपक्ष के 4-4 सदस्य बैठ कर इस बारे में चर्चा करें आवश्यक निर्णय करेंगे ताकि सभी वर्गों का भला हो सके. श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष ने आसंदी द्वारा दी गई व्यवस्था पर धन्यवाद ज्ञापित किया.

4. प्रश्नोत्तर (क्रमशः)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 104 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 115 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

5. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

(1) एस.डी.एम. इटारसी के खिलाफ विशेषाधिकार भंग की सूचना ग्राह्य की जाना

डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य ने उल्लेख किया कि मैंने एस.डी.एम. इटारसी के खिलाफ विशेषाधिकार भंग की सूचना का प्रस्ताव दिया है. आसंदी उस पर विचार करे. अध्यक्ष जी ने माननीय सदस्य को अवगत काराया कि मैं उस पर विचार कर रहा हूं.

(2) होशंगाबाद रोड पर रेत का अवैध भण्डारण किया जाना

श्री रामेश्वर शर्मा, सदस्य, श्री आरिफ अकील, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने उल्लेख किया कि होशंगाबाद रोड़ और मिसरोद के बीच कलियासोत पुल तक रेत से भरे डम्पर और ट्रक खड़े रहते हैं, जिसके कारण वहां स्थित कॉलोनियों के निवासियों को परेशानी होती है. रेत माफियाओं द्वारा सड़क पर सारा स्टेट से लेकर टोल टैक्स प्लाजा तक ट्रकों के द्वारा जाम और सड़क पर रेत के भण्डारण से आम नागरिकों का जनजीवन संकट में है अत: इन पर कार्यवाही होनी चाहिए.

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि माननीय मंत्री श्री आरिफ अकील जी जो बोल रहे हैं कि जो ट्रक रात में वहां स्थित कालोनियों में खड़े रहते हैं और रेत का भण्डारण करते हैं, वह सब हटाया जाना चाहिए. इसकी विशेष व्यवस्था पुलिस विभाग को देखनी पड़ेगी क्योंकि वह ही भण्डारण करवाते हैं.

(3) नरयावली विधान सभा क्षेत्र में अज्ञात बीमारी से गाय, भैंसों की मृत्यु होना

इंजी प्रदीप लारिया, सदस्य ने उल्लेख किया कि नरयावली विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड राहतगढ़ में 15, 20 गांव में अज्ञात बीमारी से लगभग 100 गाय और भैंसों की मृत्यु हो गई है. वहां पर कोई भी डॉक्टर्स की टीम नहीं पहुंची है. वो टीम शीघ्र वहां जाए और परीक्षण करे, जिससे शेष जानवर बच सकें और जिनके जानवरों की मृत्यु हुई है, उनको उसका मुआवजा मिल सके.

(4) एडव्होकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाना

श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य ने उल्लेख किया कि एडव्होकेट बंधु सभी प्रकार से केस लड़ते हैं. प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए या फिर उनको शस्त्र लायसेंस दिए जाएं.

(5) पबजी खेल पर प्रतिबंध लगाया जाना

श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य ने उल्लेख किया कि इस समय पूरे प्रदेश में पबजी खेल बच्चों और बड़ों द्वारा कम्प्यूटर और मोबाईल में खेला जाता है. उस गेम की लत से नौजवानों एवं किशोरों का जीवन खराब हो रहा है और अनेक लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं. कुछ प्रदेशों में पबजी खेल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. मध्यप्रदेश में पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए.

(6) सुवासरा के व्यापारी की हत्या की जांच की जाना

श्री हरदीपसिंह डंग सदस्य ने उल्लेख किया कि सुवासरा के एक 40 वर्षीय व्यापारी की 5 दिन पूर्व मध्यप्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर हत्या कर दी गई है. इस घटना को 6 दिन बीत चुके हैं. पूरे मंदसौर जिले से उसके समाज वाले लगातार ज्ञापन दे रहे हैं लेकिन अभी तक इस प्रकरण में कोई सुराग नहीं मिला है. इसकी जांच तुरंत करवाई जाये.

6. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री शरद जुगलाल कोल, सदस्य जिला शहडोल के ब्यौहारी विधानसभा क्षेत्र में मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को बैंक द्वारा किये जाने वाले भुगतान में कठिनाई उत्पन्न होने,

(2) श्री पुरूषोत्तम लाल तंतुवाय, सदस्य दमोह जिले के हटा स्थित मीट मार्केट को अन्यत्र स्थानांतरित किये जाने,

(3) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, सदस्य शिवपुरी जिले में पत्थर व रेत का अवैध उत्खनन होने,

(4) श्री जयसिंह मरावी, सदस्य उमरिया जिला मुख्यालय के खलेसर मुहल्ला के तालाब पर अतिक्रमण किये जाने,

(5) श्री रामेश्वर शर्मा, सदस्य की होशंगाबाद रोड पर रेत माफियाओं द्वारा रेत का अवैध भण्डारण किये जाने,

(6) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य नरसिंहपुर जिले अंतर्गत नर्मदा नदी की सहायक नदी शक्कर पर बांध बनाये जाने,

(7) श्री जसमंत जाटव, सदस्य करैरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टीला तालाब परियोजना का शीघ्र पूर्ण कराये जाने

(8) श्री सुभाष रामचरित्र, सदस्य जिला सिंगरौली के जनपद देवसर बरगवां से घौड़र हाइवे का रोड की जर्जर हालत होने,

(9) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य अनुपपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ अंतर्गत ग्राम घोघरी में उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने तथा

(10) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य बाणसागर परियोजना में डूब प्रभावितों को मुआवजा प्रकरणों का निराकरण न किये जाने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

7. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि - विधानसभा की नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं, परंतु सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में 4 सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही प्रश्न पूछकर इन ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर यथा शीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें.

(1) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य ने आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजना की किसान कल्याण विभाग को स्थानांतरित राशि का दुरूपयोग किये जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री सचिन सुभाष यादव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(2) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य ने प्रदेश के शॉपिंग मालों में एक्सपायरी डेट के खाद्य पदार्थों की बिक्री से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री तुलसीराम सिलावट लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(3) सर्वश्री देवेन्द्र सिंह पटेल, कुंवर सिंह टेकाम, सदस्यगण ने उदयपुरा क्षेत्र के अन्तर्गत राजमार्ग-12 के निर्माण कार्य में शर्तों का पालन न किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री सज्जन सिंह वर्मा, लोक निर्माण मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(4) श्री संजीव सिंह "संजू", सदस्य ने टीकमगढ़ एवं निवाड़ी जिले में अमानक स्तर के चावल का भण्डारण किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने वक्तव्य दिया.

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री रामकिशोर (नानो) कावरे (जिला-बालाघाट)
(2) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
(3) श्री आशीष गोविन्द शर्मा (जिला-देवास)
(4) श्री इन्दर सिंह परमार (जिला-शाजापुर)
(5) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया (जिला-शिवपुरी)
(6) श्री रामपाल सिंह (जिला-रायसेन)
(7) श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-कटनी)
(8) श्री कुंवरजी कोठार (जिला-राजगढ़)
(9) डॉ. सीतासरन शर्मा (जिला-होशंगाबाद)
(10) श्री अनिल जैन (जिला-निवाड़ी)
(11) श्री जजपाल सिंह 'जज्जी' (जिला-अशोकनगर)
(12) श्री देवेन्द्र वर्मा (जिला-खण्डवा)
(13) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला-पन्ना)
(14) श्री विक्रम सिंह (जिला-सतना)
(15) श्री आलोक चतुर्वेदी (जिला-छतरपुर)
(16) श्री प्रहलाद लोधी (जिला-पन्ना)
(17) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(18) श्री प्रदीप पटेल (जिला-रीवा)
(19) श्री पुरूषोत्तम लाल तंतुवाय (जिला-दमोह)
(20) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
(21) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया (जिला-मन्दसौर)
(22) श्री रामखेलावन पटेल (जिला-सतना)
(23) श्री शरदेन्दु तिवारी (जिला-सीधी)
(24) श्री मनोज चावला (जिला-रतलाम)
(25) श्री महेश परमार (जिला-उज्जैन)
(26) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(27) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
(28) श्री राहुल सिंह लोधी (जिला-टीकमगढ़)
(29) श्री राकेश गिरि (जिला-टीकमगढ़)
(30) श्री नारायण सिंह पट्टा (जिला-मंडला)
(31) डॉ. मोहन यादव (जिला-उज्जैन)
(32) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)
(33) श्री उमाकांत शर्मा (जिला-विदिशा)
(34) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(35) श्री प्रेमशंकर वर्मा (जिला-होशंगाबाद)
(36) श्री शरद जुगलाल कोल (जिला-शहडोल)
(37) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(38) श्री बापू सिंह तंवर (जिला-राजगढ़)
(39) श्री रामेश्वर शर्मा (जिला-भोपाल)
(40) श्री जयसिंह मरावी (जिला-शहडोल)
(41) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा (जिला-सतना)
(42) श्री जसमंत जाटव छितरी (जिला-शिवपुरी)

9. अध्यक्षीय घोषणा
भोजनावकाश न होना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया कि - आज भोजनावकाश नहीं होगा. भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

10. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मण्डल हेतु 3 सदस्यों का निर्वाचन

श्री सचिन सुभाष यादव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया कि :-

"यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 25 की उपधारा (1) के पद (नौ) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मंडल के लिए राज्य विधान सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हो.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

निर्वाचन कार्यक्रम

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि – जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मंडलों हेतु विधान सभा के तीन सदस्यों का निर्वाचन कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

(1) नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में सोमवार, दिनांक 22 जुलाई, 2019 को मध्याह्न 12.00 बजे तक दिये जा सकते हैं.
(2) नाम-निर्देशन प्रपत्रों की जांच सोमवार, दिनांक 22 जुलाई, 2019 को अपराह्न 1.30 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक 6 में होगी.
(3) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना सोमवार, दिनांक 22 जुलाई, 2019 को अपराह्न 2.00 बजे तक इस सचिवालय में दी जा सकती है.
(4) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान, बुधवार दिनांक 24 जुलाई, 2019 को पूर्वाह्न 11.00 से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा.
(5) निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायेगा.

उपर्युक्त निर्वाचनों हेतु अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने एवं उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते हैं।"

11. वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों पर मतदान ..... (क्रमशः)

(14) श्री जितू पटवारी, खेल और युवा कल्याण मंत्री ने राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को –

अनुदान संख्या – 43	खेल और युवा कल्याण के लिए दो सौ करोड़, बाईस लाख, बयालीस हजार रुपये एवं
अनुदान संख्या – 44	उच्च शिक्षा के लिए दो हजार तीन सौ बयालीस करोड़, छिहत्तर लाख, अठहत्तर हजार रुपये तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया

उपाध्यक्ष महोदया (सुश्री हिना लिखीराम कावरे) पीठासीन हुईं.

(2) श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव
(3) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल

(4) श्री लक्ष्मण सिंह
(5) श्री अजय विश्नोई
(6) श्री संजय शर्मा
(7) श्री के.पी.त्रिपाठी
(8) श्री संजीव सिंह "संजू"
(9) श्री ओमप्रकाश सकलेचा
(10) श्री दिलीप सिंह परिहार
(11) श्री हरदीप सिंह डंग
(12) श्री दिलीप सिंह गुर्जर
(13) श्री शैलन्द्र जैन

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.) पीठासीन हुए.

श्री जितू पटवारी, खेल और युवा कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(15) श्री जयवर्द्धन सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को –

अनुदान संख्या – 22	नगरीय विकास एवं आवास के लिए आठ हजार तीन सौ ग्यारह करोड़, चौहत्तर लाख, इकसठ हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 41	सिंहस्थ, 2016 से संबंधित व्यय के लिए एक हजार रुपये एवं
अनुदान संख्या – 64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए सात हजार पांच सौ तैंतीस करोड़, उनतीस लाख, पन्द्रह हजार रुपये तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया
(2) श्री कुणाल चौधरी
(3) श्री शैलेन्द्र जैन
(4) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी
(5) श्री आकाश विजयवर्गीय
(6) श्री नीलांशु चतुर्वेदी
(7) डॉ. मोहन यादव
(8) श्री आरिफ मसूद

श्री जयवर्द्धन सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(16) श्री सुखदेव पांसे, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को –

अनुदान संख्या – 20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए चार हजार चालीस करोड़, सत्रह लाख, छप्पन हजार रुपये तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांग और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री रामपाल सिंह

उपाध्यक्ष महोदया (सुश्री हिना लिखीराम कावरे) पीठासीन हुईं.

(2) श्री महेश परमार
(3) श्री बहादुर सिंह चौहान

12. अध्यक्षीय घोषणा
स्वल्पाहार की व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया कि स्वल्पाहार की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह सुविधानुसार स्वल्पाहार ग्रहण करने का कष्ट करें.

13. वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों पर मतदान ..... (क्रमशः)

(4) श्री संजय शर्मा
(5) श्री सुनील उईके
(6) श्री कमल पटेल
(7) श्री अर्जुन सिंह
(8) श्री गौरीशंकर बिसेन

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.) पीठासीन हुए.

श्री सुखदेव पांसे, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(17) श्री उमंग सिंघार, वन मंत्री ने राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को –

अनुदान संख्या – 10 वन के लिए दो हजार सात सौ सतहत्तर करोड़, सतहत्तर लाख, छियासठ हजार रुपये तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांग और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री संजय शाह मकड़ाई
(2) श्री लक्ष्मण सिंह
(3) कुंवर सिंह टेकाम
(4) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(5) श्री शैलेन्द्र जैन
(6) कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा
(7) कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा
(8) श्री सुनील उईके
(9) श्री विजयपाल सिंह
(10) श्री शशांक भार्गव
(11) श्री राजेश शुक्ला
(12) श्री रामकिशोर (नानो) कावरे
(13) श्री आशीष गोविन्द शर्मा
(14) श्रीमती झूमा सोलंकी

श्री उमंग सिंघार, वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

14. अध्यक्षीय घोषणा
भोजन की व्यवस्था होना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया कि - रात्रि भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

15. वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों पर मतदान ..... (क्रमशः)

(18) एडव्होकेट हर्ष यादव, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री ने राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को –

अनुदान संख्या – 56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग के लिए एक सौ सत्तर करोड़, आठ लाख, सतहत्तर हजार रुपये एवं
अनुदान संख्या – 68	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के लिए दो सौ इकहत्तर करोड़, इक्कीस लाख, इक्कानवे हजार रुपये तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री जालम सिंह पटेल "मुन्ना भैया"
(2) श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव (चर्चा पूर्ण)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

सदन में व्यवधान के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा 9.10 बजे से सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 9.20 बजे पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

16. अध्यक्षीय व्यवस्था

श्रीमती शीला दीक्षित, भूतपूर्व मुख्यमंत्री नई दिल्ली के निधन पर सदन द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित न किया जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्र, सदस्य एवं श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष द्वारा श्रीमती शीला दीक्षित, भूतपूर्व मुख्यमंत्री नई दिल्ली के निधन पर सदन द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित न करने पर अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि कल की कार्य सूची में विधिवत् प्रस्ताव आ रहा है, उस पर मेरे उल्लेख के बाद सदन के नेता मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य सदस्यगण अपने विचार व्यक्त करते हैं और आपकी सहमति से ही ये तय हुआ था, इसलिये यह प्रस्ताव आयेगा. जैसी सदन की परम्परा रही है, उसी का मैं निर्वहन कर रहा हूं.

श्री कमलनाथ, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं अभी श्रीमती शीला दीक्षित की अंत्येष्ठि से आया हूं, सुबह आपसे चर्चा करके ही दिल्ली गया था. मैंने आपसे यह भी आग्रह किया था कि परन्तु आपने ही इसे कल सुबह लेने का आग्रह किया था, क्योंकि ये विचार बना था कि चूंकि उनकी अभी अंत्येष्ठि नहीं हुई है इसलिए कल ही यह प्रस्ताव आये. अब आज लेने की बात कर रहे हैं जो उचित नहीं है.

17. गर्भगृह में प्रवेश एवं वापसी

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण श्रीमती शीला दीक्षित, भूतपूर्व मुख्यमंत्री नई दिल्ली के निधन पर सदन द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित न करने के विरोध में नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आए एवं कुछ समय पश्चात् अपने-अपने आसनों पर वापस गए.

18. बहिर्गमन

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण द्वारा सरकार की असंवेदनशीलता के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया.

19. वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में उल्लिखित अनुदानों की शेष मांगों पर आंशिक मुखबन्ध (गिलोटिन)

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि "वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की शेष मांगों पर अब मुखबन्ध (गिलोटिन) होगा इस संबंध में मतदान हेतु शेष विभागों की अनुदान मांगें माननीय वित्त मंत्री जी एक साथ प्रस्तुत करेंगे तथा उन पर एक साथ मत लिया जाएगा." तद्नुसार –

श्री तरुन भनोत, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को -

अनुदान संख्या – 30	ग्रामीण विकास के लिए चार हजार तिरेपन करोड़, पांच लाख, अट्ठावन हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए सत्ताइस हजार पचहत्तर करोड़, छियालीस लाख, सैंतीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिए एक हजार चार सौ करोड़,
अनुदान संख्या – 62	पंचायत के लिए दो सौ ग्यारह करोड़, चालीस लाख, सतहत्तर हजार रुपये,

अनुदान संख्या – 19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए सात हजार पांच सौ छियालिस करोड़, अस्सी लाख, पंद्रह हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 34	सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण के लिए आठ सौ तिरसठ करोड़, उन्नीस लाख, इक्यावन हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 49	अनुसूचित जाति कल्याण के लिए एक हजार चार सौ उनचास करोड़, सत्तर लाख, इक्तीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 18	श्रम के लिए नौ सौ पच्चीस करोड़, चौरानवे लाख, छप्पन हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 29	विधि और विधायी कार्य के लिए एक हजार नौ सौ सैंतालीस करोड़, पच्चीस लाख, नौ हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक हजार पांच सौ चालीस करोड़, पैंतालीस लाख, इकसठ हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास के लिए बाईस हजार पांच सौ सड़सठ करोड़, उनतालीस लाख, बाईस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण के लिए एक हजार इक्कानवे करोड़, तीस लाख, बासठ हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए एक सौ साठ करोड़, बानवे लाख, सोलह हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 37	पर्यटन के लिए दो सौ उनतीस करोड़, तैंतीस लाख, उनहत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 48	नर्मदा घाटी विकास के लिए तीन हजार तीन सौ बाईस करोड़, पचास लाख, सतासी हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए एक हजार एक सौ इक्कीस करोड़, तिरानवे लाख, छत्तीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 42	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास के लिए एक सौ चौंतीस करोड़, बयालीस लाख, बावन हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 63	अल्पसंख्यक कल्याण के लिए तैंतीस करोड़, तेईस लाख, अड़सठ हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 66	पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए सात सौ अठासी करोड़, तिरेपन लाख, तिरासी हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 55	महिला एवं बाल विकास के लिए पांच हजार दो सौ बानवे करोड़, पचपन लाख, पैंसठ हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 6	वित्त के लिए चौदह हजार छह सौ बाईस करोड़, तिरानवे लाख, उनतालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी के लिए दो सौ अट्ठावन करोड़, तिहत्तर लाख, उनचास हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिए तीन सौ बत्तीस करोड़, तेईस लाख, तैंतीस हजार रुपये, तथा
अनुदान संख्या – 61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय के लिए दो करोड़, तिहत्तर लाख, अठारह हजार रुपये,
	तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस प्रस्ताव पर सदन का मत लिया गया.

अनुदान मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

20. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2019 (क्रमांक 21 सन् 2019) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

21. वर्ष 2008-2009 एवं 2010-2011 के आधिक्य व्यय के विवरणों का उपस्थापन

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदया के निर्देशानुसार, वर्ष 2008-2009 एवं 2010-2011 के आधिक्य व्यय के विवरणों का उपस्थापन किया.

22. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2019 (क्रमांक 21 सन् 2019) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री तरुण भनोत ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2019 (क्रमांक 21 सन् 2019) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

अपराह्न 9.44 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 22 जुलाई, 2019 (आषाढ़ 31, शक सम्वत् 1941) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 21 जुलाई, 2019